International Journal of Applied Research 2019; 5(1): 253-254

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(1): 253-254
www.allresearchjournal.com
Received: 29-11-2018
Accepted: 30-12-2018

डॉ० नीतु गौरव
सहायक शिक्षिका, +2 एस. एम.उच्च विद्यालय बसैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार, भारत

Correspondence
डॉ० नीतु गौरव
सहायक शिक्षिका, 2 एस. एम.उच्च विद्यालय बसैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार, भारत

भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार

डॉ० नीतु गौरव

सारांश
भारतीय राजनीति के भ्रष्टाचार के विविध रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव से इसकी परंपरा शुरू होती है और फिर राजनीति की तमाम गतिविधियों को अपने गिरफ्त में ले लेता है– भ्रष्टाचार। भारतीय राजनीति का अपना एक गौरवमयी इतिहास रहा है, जो अब केवल धंधे का रूप ले लिया हैं अब राजनीति में लोग जनसेवा के लिए जाते वरन् पेशे के लिए जाते हैं, धन कमाने जाते हैं, ऐय्यासी करने जाते हैं। अगर हम अपने देश की राजनीति से भ्रष्टाचार का खत्मा कर दें तो संभवतः भ्रष्टाचार के सारे रूप लगभग स्वतः मिट जाएंगे। इसलिए अगर एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात की जाती है, रामराज्य की स्थापना का स्वप्न देखा जाता है तो इसके लिए सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में अंतर्निहित वैविध्यमयी भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और यह काम निश्चय ही यहाँ के बुद्धिजीवियों के, मीडिया के माध्यम से सीाव हो सकेगा, जहाँ कुछ नैतिकता अब भी शेष रह गयी है।

परिचय
भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार आज का सर्वाधिक प्रासंगिक मुद्दा है। यह एक ऐसा सत्य है, जिसने भारतीय शासन, प्रशासन एवं समाज को गहराई से प्रभावित किया है। राजनीति में भ्रष्टाचार की सर्वव्यापकता आज व्यवस्थागत संस्कृति का रूप ले चुकी है। दुर्भाग्य है कि जनाश्रित भारतीय शासन–व्यवस्था में जन के लिए वर्तमान में आक्रोशित करने वाला कोई मुद्दा ही नहीं रह गया हैं जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बंटी जनता वोट के सौदागरों के छलावें में आकर अपनी उदासीनता से कहीं न कहीं भ्रष्ट्राचार का पोषण करने लगी हैं चंद बुद्धिजीवियों, मीडिया अथवा जागरूक संवेदनशील व्यक्तियों की आवाज भ्रष्टाचार शोर में दबती प्रतीत हो रही है। विधि का शासन भी अपने वैधानिक अपंगताओं के चलते भ्रष्टाचार का सहगामी प्रतीत होने लगा है। कानून का अंधापन एवं ''विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया'' के आधार पर संचालित न्यायपालिका की कार्यप्रणाली भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका के अंकुश को बेईमानी बना रहे हैं। न्यायाधीश के अंतरात्मा की आवाज तथा उसके द्वारा दिये जाने वाले निर्णय स्वयं में विरोधाभाष का परिचय देते हैं। व्यवस्थापिका के साथ कार्यपालिका में अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों की पढ़ती संख्या तथा न्यायपालिका के साथ उनके टकराव से कभी भी शासन के पंगु होने का खतरा आसन्न दिखाई देने लगा है।
भ्रष्टाचार के संबंध में सन् 1948 में महात्मा गाँधी द्वारा दी गई टिप्पणी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि ''भ्रष्टाचार जैसे मसलों के प्रति उदासीन रहना अपराध है।''[1] महात्मा गाँधी का कथन भ्रष्टाचार के प्रति उनके गंभीर दृष्टिकोण एवं हृदय की वेदना की अभिव्यक्त करता है, यह एक विचारणीय तथ्य है। अनुभव से यह ज्ञान होता है कि सार्वजनिक जीवन का कोई भी क्षेत्र उससे अछूता नहीं है। इसके प्रतिकूल प्रभाव से आज की भारतीय राजव्यवस्था गंभीरता से संक्रमित हुई प्रतीत होती है।
भ्रष्टाचार का शाब्दिक आशय है– भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्ट व्यवहार। यह सर्वविदित है कि समाज और शासन की व्यवस्था की सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होने के लिए सार्वजनिक हित में व्यवहार के कुछ आदर्श प्रतिमान व्यवस्थित हैं। उसमें नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, पद एवं सत्ता का सदुपयोग मुख्य रूप से सन्निहित किये जा सकते हैं। ये प्रतिमान स्वस्थ समाज की परंपराओं पर आधारित है। समाज रूपी व्यवस्था की सुदृढ़ता इन पर ही निर्भर है। ये प्रतिमान नैतिक आदर्शों के प्रतिरूप माने जाते हैं। इनका पालन ही नैतिक आचार अथवा सदाचार है तथा इनका उल्लंघन भ्रष्टाचार है। आशय यह है कि उपरोक्त मान्य एवं सुस्थापित नैतिक आदर्शों के विपरीत किये जाने वाले व्यवहार भ्रष्टाचार के द्योतक हैं। अनैतिकता, असहिष्णुता, कर्तव्य उपेक्षा एवं निजी हित के लिये पद एवं सत्ता का रूप प्रयोग आदि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कन्साईज आर्क्सफोर्ड शब्दकोश में भ्रष्टाचार का अर्थ निम्न है।
''रिश्वत अथवा अवैधानिक और अनुपयुक्त साधनों से गलत या अनैतिक कार्य की ओर उन्मुख होना तथा सही और नैतिक कार्यों से विरत होना भ्रष्टाचार है।''[2] व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार को अनैतिकता से जोड़ा गया है। यह कहना ज्यादा सार्थक है कि वास्तव में अनैतिकता भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। इसलिए भ्रष्टाचार का सही अर्थ में समझने के लिए नैतिकता को समझाना अनिवार्य लगता है। नैतिकता का शाब्दिक अर्थ वैचारिक निर्धारण और अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए अधिकारों का उचित उपयोग हैं नैतिक पर अनैस्ट अधिकारों हेमिंग्ने का वक्तव्य उल्लेखनीय है– ''जिस काम को करने के बाद आप सुखद अनुभव करें, वह नैतिक और जिसे करने के बाद बुरा महसूस करते हैं, वह अनैतिक है।''[3] यहाँ पर हेमिंग्वे का 'सुख' संबंधी कथन भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक सुख को प्रतिनिधित्व करता है।

यह आत्मिक सुख स्वहित नहीं, बल्कि हित एवं सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों को संपन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार का एक सामान्य आशय यह लगाया जा सकता है कि वह व्यवहार जो सार्वजनिक हित में ही स्वहित का पोषक न ही तथा सुस्थापित मान्यताओं के अनुकूल हो, सदाचार के रूप में जाना जायेगा। लेकिन ऐसा व्यवहार जो स्वहित का पोषक हो, सार्वजनिक हित का विरोधी हो, लोगों को कष्ट देने वाला हो एवं सुस्थापित मान्यताओं का उल्लंघन करता हो, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आयेगा। नैतिक आदर्शों की उपेक्षा एवं सदाचार का अभाव, भ्रष्टाचार संरक्षण (जो साम्प्रदायिकता वाद, जातिवाद, भाई–भतिजावाद सवं पक्षपात पर आधारित होता है) एवं अनुचित प्रभाव के रूप में अभिव्यक्ति होता हैं

राजनीतिक चिंतन में, राजनीतिक भ्रष्टाचार के संदर्भ में आज जो सामान्य से अवधारणा विकसित हुई है, उसी के अंतर्गत यह माना जाने लगा है कि स्वहित की येन–केन प्रकारेण पूर्ति की भावना राजनीतिक कार्यों का आधारभूत प्रेरणा स्रोत हैं स्वार्थ संदर्भित चिंतन का एक पक्ष ह्रास के राजनीतिक दर्शन में देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि हान्स जहाँ जन–सामान्य के हित पर बल देते हुए उसकी पूर्ति के लिए लेवियाथन जैसे निरंकुश शासक की बात करता है, वहीं मैकयावेली प्रिंस के स्वहित पर बल देता है।''[4] शासक के स्वहित का यह मैकयावेली दृष्टिकोण राज्य हित से जुड़ा हुआ है। आज की भारतीय राजनीति का सर्वाधिक सवीकार्य अंग बन चुका है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से भी पहले से अपना वीभत्स रूप दिखा रहे भ्रष्टाचार, खास तौर से 1935 के कानून के तहत राज्यों में बनी लोकप्रिय सरकार के अस्तित्व में आने के बाद पनपे भ्रष्टाचार की तुलना में राजनीति का अपराधीकरण एक नई अवधारणा है। इसकी शुरूआत राजनीतिज्ञों द्वारा चुनावों में अपराधियों की मदद लेने से हुई थी। मोटे तोर पर चुनाव के अपराधीकरण का अर्थ है–

(1) राजनीतिज्ञों द्वारा पैसा और बाहुबल का प्रयोग, खासतौर से चुनावों के दौरान।

(2) सत्ता में रहने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा अपराध में सहायता और बढ़ावा देना तथा अपराधियों को शरण देना, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर कानू लागू करने वाली एजेंसियों की कार्यवाई में भी दखल दी जाती है।

(3) प्रशासन का राजनीतिकरण, खासतौर से पुलिस विभाग का, इसकी वजह से प्रभावशाली राजनीतिज्ञों को दखलंदाजी करने दी जाती है और कई बार तो उन्हें विशेष सुविधएँ मुहैया करवाई जाती है।

(4) हत्या, लूटमार, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त व्यक्तियों का राज्यसभा और लोकसभा में चयन तथा

(5) सरकार में अपाधियों को प्रतिष्ठित पद या सम्मान मिलना, जैसे मंत्री या राज्यपाल बनना।

इस तरह आज हम न सिर्फ राजनीतिक अपराधीकरण का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि उससे भी घृणित अपराधियों के राजनीतिकरण का मुकावला कर रहें हैं। एक समय ऐसा आया जब अपराधियों को अहसास हुआ कि राजनीतिज्ञों की मदद करने के वजाय वे स्वयं ही विधानसभा या संसद में क्यों न प्रवेश करें और मंत्री पद हासिल करें, ताकि भविष्य में उनकी अपराधिक गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल भी हो सके। राजनीति एक ऐसा शब्द है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका संबंध राजकाज से है, वैसे राजनीति की कोई स्पष्ट व्याख्या है या नहीं क्योंकि इसकी परिभाषा में मतभेद है। राजनीति का सर्वप्रथम प्रयोग महान् विचारक अरस्तू ने अपनी पुस्तक 'पालिटिक्स' में किया। राज्य की शासन–व्यवस्था को अनेक उपायों, विधियों एवं सामंजस्यों के अनुरूप बनाए रखने और चलाने की क्रिया को राजनीति कहते हैं। आधुनिक युग में राजनीति शब्द का अर्थ विकृत रूप में किया जाता है। राजनीति से तात्पर्य उन समस्त वर्तमान राजनीतिक समस्याओं से है, जो किसी देश या सरकार के समक्ष है। आजकल राजनीति से अभिप्राय सरकार की वर्तमान समस्याओं से है।

भारत में भ्रष्टाचार का नया आयाम दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त हुआ। इस योजना में भारी पैमाने पर सार्वजनिक धन के व्यय का प्रावधान था, जिसने भारतीय इतिहास में प्रथम बार राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और नौकरशाह को एक–दूसरे के निकट ला खड़ा किया, क्योंकि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय में समुचित बुद्धि और उद्योग धंधो पर विशेष बल आदि बातों को लक्ष्य बनाकर कार्य प्रारंभ किया गया। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब उद्योगपति मंत्री और नौकरशाह का एक सुनहरा त्रिकोण उभरता हुआ देखा, जिसने भ्रष्टाचार को एक नया आयाम दिया। जनता ने उनका कितना भी विरोध क्यों न किया हो मंत्री, नौकरशाह और उद्योगपति ने अनेक तरीकों से एक दूसरे को समायोजित करना सीख लिया। 7वें दशक में गठजोड़ की प्रबलता अपनी चरम सीमा पर देखी गयी।[5]

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उस समय देश के आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई मिश्रित अर्थ–व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग–पति को अपने उद्योग। व्यापार के लिए कोटा/परमिट/लाइसेंस को प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिन्हें कार्य करने का अधिकार मंत्री को था, लेकिन पहले उसके कागजी कार्यवाही पूरी करने और प्रकरण को उसकी इच्छा के अनुसार तैयार किया गया। इसके लिए उसे इच्छानुसार चलने वाले नौकरशाह की आवश्यकता होती थी। ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। मंत्री के पास नौकरशाहों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण का अधिकार था। नौकरशाह को वह पुरस्कृत भी कर सकता था और ऐसा किया भी गया। इस तरह इस खेल में लिप्त तीनों खिलाड़ियों को लाभ पहुँचता था। इसका परिणाम भारतीय राजनीति और लोकसेवा में संस्थागत भ्रष्टाचार के रूप में सामने आया।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार की समस्या काफी जटिल और नाजुक है। इस बारे में व्यापक स्तर पर आम सहमति है कि सत्य निष्ठा की नई परंपरा तभी स्थापित की जा सकती है जब भारत में शासन–व्यवस्था की बागडोर संभालने वाले अर्थात् केन्द्र तथा राज्य के मंत्रिगण स्वयं को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करें। आज जो अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण तेजी से हो रहा है, इसके लिए समाज को सजग रहने की आवश्यकता है। आम जनता वैसे सत्ताधारियों को चुने जो कहीं से भी किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो। चुनाव में जातिवाद, वर्गवाद, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा को आधार बनाना खत्म किया जाय। सरकार में वे लोग चुनकर आए जो साफ–सुथरे व्यक्तित्त्व वाले हों। साथ ही राजनीति में व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ की सही भूमिका निभानी होगी। पेड न्यूज की परंपरा और गोदी मीडिया की धारणा को भंग करना होगा, तभी राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार का खात्मा संभव हो सकेगा।

संदर्भ

1. यू.सी. अग्रवाल– 'प्रशासनिक भ्रष्टाचार' (एक लेख), पालिटिक्स इंडिया, नवम्बर 1998, पृ.– 25
2. कन्साइज आक्र्सफोर्ड शब्द कोश, पृ.– 45
3. विस्तव, पी दृ बालेश्वरी, नैतिकाता, राजनीति और भारत (एक लेख) पालिटिक्स इंडिया, नवम्बर, 1998, पृ.– 39
4. डोंबिगए आर.एम., स्पिलीज्म एंड सेल्फ इंटरेस्ट एज पॉलिटिकली थाट्स, 1972, पृ.– 52
5. एम.आर. माहेश्वरी, भ्रष्टाचार, समाज का कैंसर (लेख), पॉलिटिक्स इंडिया, पृ.– 16